न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 53/2021

उनवान

हरि सिंह पुत्र देवी सिंह (मृतक) जरियें वारिस
1. पताशी पत्नी हरि सिंह
2. इन्द्रा पुत्री हरि सिंह
3. सुरेश पुत्र हरि सिंह
4. मतरा पुत्री हरि सिंह
5. प्रभा पुत्री हरि सिंह
6. श्याम सिंह पुत्र हरि सिंह समस्त जाति रावत नि0 चैनपुरा, तहसील नसीराबाद अजमेर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरियें सचिव महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें राज0 पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 28.10.21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण मृतक हरि सिंह के विधिक वारिसान है। ग्राम राजगढ की निम्न आराजी वादीगण के पति/पिता की आवंटनशुदा है :–

चौसालाखसरानम्बर	रकबा	वंर्किगखसरानम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
5430	4–18–0	6306	4–18–0	2578/3115	0.79
5433	8–9–0	6309	8–9–0	2591	1.37

वादीगण के पति/पिता हरि सिंह उक्त आराजी पर राजस्थन काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक से पूर्व ही काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी काबिज काश्त होने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1957 के तहत उन्हे दिनांक 09.07.1984 को नियमानुसार आंवटन की गयी किन्तु उक्त आवंटन आदेश की पालना में राजस्व कार्मिको द्वारा जमाबन्दी में अमल दरामद नही किया गया। आवंटन दिनांक से वादीगण/पूर्वज उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल जमाबंदी [illegible] आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज नही कर त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज [illegible] दि[illegible] वादीगण के पति/पिता को हुये उक्त आवंटन को किसी भी व्यक्ति [illegible] द्वारा सक्षम [illegible] में चुनौती नही दी है। साथ ही उक्त आवंटन निरस्त नही किया [illegible] है। अतः हाल खसरा नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79, [illegible] वादीगण को घोषित [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को श्रीमान् जिला कलक्टर महोय, अजमेर के आदेश कमांक/कअ/राजस्व/एफ–12सी(2)/13/291 दिनांक 27.09.213 द्वारा सिवायचक होने से प्राधिकारण को हस्तांतरित की गयी। अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। अतः वादीगण का वाद निरस्त किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता को आवंटित शुदा है ?

–– वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण दुरूस्ती प्राप्ति के अधिकारी है ?

–– वादीगण

3. आया आराजी मुतनाजा सिवायचक होने व कब्जा प्राधिकारण का होने से वाद खारिज योग्य है ?

–– प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व आवंटन के दस्तावेज पेश किये तथा वादी सुरेश व गवाह शोभा सिंह के बयान दर्ज करवाये।

वाद विचारण के दौरान तहसीलदार नसीराबाद को प्रकरण के सम्बन्ध में साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने तथा आवंटन के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की।

राज0 पैरोकार ने मौका पर्चा व रिपोर्ट पेश करी तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता जवाब पेश करने के बाद प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>**तनकी संख्या 1**</u> :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश अनुसार वादीगण के पति/पिता हरि सिंह पुत्र देवी सिंह को चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 4–18–0 व 5433 रकबा 8–9–0 का आवंटन दिनांक 09.07.1984 को हुआ था। उक्त आवंटन की पालना राजस्व अभिलेख में नही की गयी। चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 4–18–0 के वर्किंग खसरा नम्बर 6306 व हाल नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79 व 5433 रकबा 8–9–0 के वंर्किग खसरा नम्बर 6309 व हाल खसरा नम्बर 2591 रकबा 1.37 सिवायचक खाते में दर्ज है। किन्तु आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त वर्तमान में है। वादीगण व स्वतंत्र गवाह के बयान से भी वादी के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जे की पुष्टि होती है। तहसीलदार नसीराबद को जारी तहरीर के जवाब पत्र कमांक भू.अ./2021/2583 दिनांक 22.10.21 के अनुसार **"आराजी मुतनाजा पर कब्जा वादीगण का ही है। उक्त आराजी हरि सिंह को** [illegible] **में आवंटित हुयी थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में 14(4) का प्रकरण विचाराधीन नही है।"** तहसील[illegible]बाद द्वारा पत्र के साथ मौका पर्चा भी सलंग्न किया जिसके अनुसार भी [illegible] गया है। उक्तानुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी [illegible]जा का विधिवत आवंटन हरि सिंह पुत्र देवी सिंह को हुआ है। उक्त [illegible] के आवंटन को [illegible]यालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार [illegible] प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित

––3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन आदेश का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया हो अथवा नही। तनकी संख्या 1 बहक वादीगण सिद्व होती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन वादीगण के पति/पिता को विधिवत किया गया तथा मोके पर कब्जा व दखल भी सौपा गया। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के आवंटन आदेश का इन्द्राज राजस्व कार्मिको द्वारा नही किये जाने के कारण उक्त आराजी को बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक होने के कारण अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की गयी। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय आवंटन आदेश की पालना नही करने की त्रुटि हेतु वादीगण जिम्मेदार नही है। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी का विधिवत आवंटन हुआ था जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व साक्ष्य तथा तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट से सिद्व होता है। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन आदेश का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया हो अथवा नही। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी को उक्त आराजी पर गैर खातेदारी अधिकार पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रदान नही किये गये थे साथ ही वादी के आवंटन आदेश की पालना भी तत्समय वंर्किग जमाबंदी में नही की गयी। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी के आंवटन के बाद मौके पर कब्जा संभलाना व राजस्व अभिलेख में जरियें नामान्तकरण भूमि का इन्द्राज करने का दायित्व राजस्व कार्मिको का है। राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त कार्य नही किये जाने के कारण ही वादीगण द्वारा प्रश्नगत वाद न्यायालय में पेश किया है। वादीगण को अपनी आवंटित आराजी पर आवंटन आदेश की पालना सुनिश्चित होने के पश्चात ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती में गैर खातेदारी प्राप्त करने के ही अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम राजगढ के नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79, 2591 रकबा 1.37 पर वादीगण का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है। कि वादीगण को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हरि सिंह बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 53/2021
पेश करने की दिनांक – 04.05.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक महेन्द्र सिंह चौहान मुद्दई प्रतिवादी राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजगढ के नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79, 2591 रकबा 1.37 पर वादीगण का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है। कि वादीगण को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २४ माह १० सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner